!! कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर !!

क्रमांक : स्था./33/2025/18823 दिनांक : 20 MAY 2025

:: आ दे श ::

I

निम्नांकित कर्मचारी के सामने कॉलम संख्या–4 में अंकित न्यायालय में की गयी प्रतिनियुक्ति/कार्यव्यवस्था को प्रशासनिक आधार पर तुरन्त प्रभाव से समाप्त किया जाता है :–

क्र. सं.	नाम कर्मचारी मय पद	मूल पदस्थापन न्यायालय	प्रतिनियुक्ति/कार्यव्यवस्था न्यायालय
1	2	3	4
1	श्री जितेन्द्र प्रधान शरिस्तेदार ग्रेड प्रथम	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–3, अलवर	किशोर न्याय बोर्ड, अलवर
2	श्री गिर्राज प्रसाद मीणा रीडर ग्रेड द्वितीय	अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामगढ	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–3, अलवर

II

निम्नांकित कर्मचारी को प्रशासनिक कार्यव्यवस्था के तहत तुरन्त प्रभाव से आगामी आदेश तक कार्य करने हेतु निम्न प्रकार लगाया जाता है :–

क्र. सं.	नाम कर्मचारी मय पद	मूल पदस्थापन न्यायालय	कार्यव्यवस्था न्यायालय
1	2	3	4
1	श्री गिर्राज प्रसाद मीणा रीडर ग्रेड द्वितीय	अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामगढ	किशोर न्याय बोर्ड, अलवर (रीडर का कार्य करेंगे)

नोट– 1– कार्यालय आदेशों की पालना 03 कार्यदिवस में आवश्यक रूप से की जाये।

2– आदेश क्रम–I में अंकित जिस कर्मचारी की पूर्व प्रतिनियुक्ति/कार्यव्यवस्था न्यायालय से प्रतिनियुक्ति/कार्यव्यवस्था समाप्त कर, सीधे ही आदेश क्रम– II में अंकित न्यायालय में कार्यव्यवस्था में लगाया गया है, उस कर्मचारी को पूर्व प्रतिनियुक्ति/कार्यव्यवस्था कार्यालय से औपचारिक रूप से कार्यभार मुक्त कर सीधे ही कार्यव्यवस्था कार्यालय में उपस्थिति देने हेतु पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्देशित किया जावे।

3– कर्मचारियों की कार्यमुक्ति आदेश व उपस्थिति रिपोर्ट की प्रतियॉ नियमानुसार इस कार्यालय को भिजवाई जावे।

Sd/-

(अनन्त भण्डारी)
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
अ ल व र

क्रमांक : स्था./2025/ 18824-33 दिनांक : 20 MAY 2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं. 3 अलवर
2. अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामगढ
3. प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, अलवर
4. संबंधित कर्मचारी/व्यक्तिगत पत्रावली/लेखाशाखा/रक्षित पत्रावली
5. ✓ सिस्टम ऑफिसर को जिला एवं सेशन न्यायालय, अलवर की वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सम्बंधित न्यायालयों को ई–मेल करने हेतु।

20.5.25

(अनन्त भण्डारी)
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
अ ल व र